

प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
बुलन्दशहर

सेवा में,

प्रबन्धक/प्रधानाध्यापक,

ईगल पब्लिक प्राथमिक स्कूल हृदयपुर मोड़, जी०टी० रोड जी०टी० ५ क्षेत्र
सिकन्द्राबाद बुलन्दशहर

पत्रांक शि०स०/ 10781-82 / 2004-05

दिनांक 11-01-05

विषय : विद्यालय की प्राथमिक स्तर की स्थाई मान्यता के सम्बन्ध में।

प्रहोदय,

आप द्वारा प्रस्तुत मान्यता हेतु आवेदन पत्र पर मान्यता समिति की संस्तुति पर आपके विद्यालय को दिनांक १-७-2004 से स्थाई मान्यता [प्राथमिक स्तर कक्षा १ से ५ तक] निम्नांकित अनुबन्धों के साथ प्रदान की जाती है।—

- १—समिति के पञ्जीकरण का अद्यावधि बबोनीकरण कराया जाता रहे।
- २—विद्यालय में केवल वशिक्षित ही अध्यापक नियुक्ति किए जाये। इस कार्यालय की अनुमति के बिना न कोई अध्यापक निकाला जाये न ही नियुक्त किया जाए।
- ३—विद्यालय की भवन एवं भूमि का स्वामित्व हो। बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के भवन अन्यत्र स्थानान्तरित न किया जाये और भवन एवं भूमि का विद्यालय के नाम दाखिल खारिज हो।
- ४—विद्यालय के भवन में २० × १६ फीट के ०५ शिक्षण कक्ष एवं १२ × १० फीट का कार्यालय निर्मित कराया जाये।
- ५—अध्यापकों/कर्मचारियों को परिषद द्वारा निर्धारित वेतनमान दिये जायें तथा वेतन बैंक ट्रांसफर/चैक से भुगतान किया जाये। अध्यापक व कर्मचारियों को भविष्य निधि की सुविधा प्रदान की जाये।
- ६—बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा निर्दिष्ट पाठ्यक्रम हो पढ़ाया जाए। इसके अतिरिक्त पुस्तकें न पढ़ायी जायें।
- ७—विभाग द्वारा निर्धारित शुल्क हो बसूल को जाये।
- ८—शिक्षा का माध्यम हिन्दी हो।
- ९—अवैधानिक कक्षाएँ (नर्सरी कक्षाएँ या ६ से आगे की कक्षाएँ) संचालित न का जायें।
- १०—विभागीय/शासनादेशों/निर्देशों का पालन किया जाय। इसी भा अवैधानिक पतिविधि का संचालन विद्यालय में न किया जाये।

उक्त का अनुपालन न किए जाने की दशा में विद्यालय की मान्यता प्रत्याहरण का अधिकार अधोदस्ताक्षरित को होगा।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
बुलन्दशहर

पृ०सं० शि०सं०/

/ 2004-05

उसी तिथि को

सिकन्द्राबाद

प्रतिनिधि सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/नगर शिक्षा अधिकारी
को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्रवाही हेतु प्रेषित है।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
बुलन्दशहर

प्रेषक,

मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक । बेसिक ।
प्रथम मण्डल, मेरठ ।

सेवा में,

प्रबन्धक,

इंग्लिश मिडिल जूनियर स्कूल, औद्योगिक क्षेत्र
सिकन्दराबाद जमद बुन्देलखण्ड

पत्रांक सं. शा.स. / 6422-29

/2001-2002 दिनांक 19-2-2002

विषय:- जूनियर स्तर की नवीन अस्थायी मान्यता की स्वीकृति ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके आवेदन पत्र एवं निरीक्षक वर्ग की जाख्या के आधार पर मण्डलीय मान्यता समिति की बैठक दिनांक 16-2-2002 - - में लिये गये निर्णयानुसार राजाज्ञा संख्या 646/15-6-97-18 एस॥7॥89 शिक्षा ॥6॥ अंश लखनऊ दिनांक 13 अगस्त 1997 में किये गये प्राविधानों के अन्तर्गत निम्नांकित कल्पित प्रतिबन्धों के साथ आपके विद्यालय को जूनियर हाई स्कूल ॥ कक्षा 6 से 8 तक ॥ स्तर की नवीन अस्थायी मान्यता प्रदान की जाती है ।

प्रतिबन्ध:- विद्यालय की अस्थायी मान्यता तब तक चलती रहेगी जब तक कि स्थायी मान्यता की शर्तों पूर्ण कर अस्थायी मान्यता को स्थायी मान्यता में परिवर्तित नहीं करा ली जाती ।

2-प्रबन्धाधिकरण को अपने कर्मचारियों और शिक्षकों को मिनिमम वेजजरेक्ट के तहत चैक द्वारा वेतन का भुगतान करना होगा ।

3-विद्यालय में छात्रों के चरित्रनिर्माण से संबंधित एवं राष्ट्रीय एकता, राष्ट्र ध्वज का सम्मान व सर्वधर्म समभाव तथा मानवीय मूल्यों की सम्पत्ति के लिये जारी विभिन्न शासनादेशों का पालन अनिवार्य रूप से करवाया जाये ।

4- समिति के पंजीकरण का समयानुसार नवीनीकरण कराया जाये ।

5- शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित दरों के अनुकूल ही शुल्क लिया जायेगा तथा विद्यालयों की समस्त निधियों का लेखा उचित रूप से रखा जायेगा । भवनशुल्क/कैपिटेशनफीस के रूप में कोई धनराशि विद्यार्थियों से लिया जाना वर्जित होगा ।

6- मान्यता प्राप्त विद्यालय अपने शिक्षक/ शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को वही वेतनमान महंगाई भत्ता देने का जिम्मेदार होगा जो परिषद के समान आर्हता वाले शिक्षक-शिक्षण कर्मचारियों को प्राप्त हो रहे होंगे ।

7-जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की पूर्व स्वीकृति के बिना संस्था द्वारा कक्षा अथवा कोई सैलान न तो बन्द किया जायेगा और खोला जायेगा न समाप्त किया जायेगा ।